न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 41/2018 नामान्तरकरण अपील

1. रूपनारायण उम्र 79 वर्ष पुत्र पांच्या उर्फ पांचूराम जाति माली निवासी बसवा महादेव वाली ढाणी तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र तिलोका } समस्त जाति माली निवासी बसवा पटेलो का बास तहसील
2. शिवलाल पुत्र तिलोका } बसवा जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।
4. नत्था पुत्र टेका
5. कम्पूरी पत्नि कालूराम
6. सुभाष पुत्र कालूराम
7. महेन्द्र पुत्र कालूराम } समस्त जाति माली निवासी बसवा महादेव वाली ढाणी तहसील बसवा जिला दौसा।
8. फूलबाई पुत्री कालूराम पत्नि रामकरण } समस्त जाति माली निवासी कैंची वाली ढाणी
9. बिल्लू बाई पुत्री कालूराम पत्नि पूरण } बडियाल कलां तहसील बसवा जिला दौसा।
10. शम्भूदयाल पुत्र लिछमण जाति माली निवासी बसवा महादेव वाली ढाणी तहसील बसवा जिला दौसा
11. प्रभात्या
12. रामस्वरूप
13. डालचन्द
14. रामकरण
15. रामावतार } पुत्रान बाल्या जाति माली निवासी बसवा पटेलो का बास तहसील बसवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 19 निर्णय दिनांक 05.08.1955 ग्राम बसवा तहसील बसवा द्वारा नायब तहसीलदार बसवा)

उपस्थिति :– 1. श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2. श्री ऋद्विचन्द शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 उपस्थित।
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

दिनांकः 10.07.2019

–: निर्णय :–

(प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम)

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बसवा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 2939/1, 2939/2, 2958, 2986, 2993, 2998, 3002, 3099, 3100, 3101 लगा. 3108, 3113, 3119, 3120, 3121/1, 3121/2, 3401, 3402, 3416, 3417, 3422, 3441, 3442, 3452 लगा. 3455, 3481, 3482, 6520, 6529, 6531, 6571, 2551, 2553 कुल किता 39 कुल रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा जो कि साबिक राजस्व रिकॉर्ड में टेका व पांच्या पिसरान श्योबख्स कौम माली के नाम दर्ज थी एवं खतौनी बन्दोबस्त व जमाबन्दी में टेका व पांच्या के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी एवं साबिक खसरा नम्बर 2953 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा टेका, पांच्या पि0 श्योबख्श हिस्सा 1/2 तथा श्योला, बुद्धा, मिश्रया पि0 भीमा हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

में दर्ज चली आ रही थी। उक्त दोनो भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 7075, 7077, 7102, 7142, 7146 लगा. 7148, 7185, लगा. 7188, 7198, 7200 लगा. 7204, 7219, 7220, 7223 लगा. 7232, 7422/9901, 7423, 7479, 7480, 7513, 7522, 7526, 7529, 7530, 7549, 7550, 9472, 9605, 9618, 9753, 9754 कुल किता 45 कुल रकबा 11.12 है0 तथा खसरा नम्बर 7082 रकबा 0.32 है0 भूप्रबन्ध विभाग द्वारा कायम किये गये। उक्त भूमि 1955 में भी टेका व पांच्या पि0 श्योबख्श कौम माली के नाम 1/2, 1/2 हिस्सेनुसार दर्ज थी। उक्त टेका व पांच्या की मृत्यु हो गई। पांच्या का विधिक उत्तराधिकारी अपीलान्ट पांच्या उर्फ पांचूराम का पुत्र रूपनारायण ही है। किन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के पिता द्वारा गुपचुप में पांच्या की विरासत में अपीलान्ट के साथ ही स्वयं का नाम भी दर्ज करवा लिया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 19 में टेका की विरासत तो हिस्सा 1/2 अनुसार लिछमण, बाल्या व नत्था के नाम सही दर्ज कर दी। किन्तु अपीलान्ट के पिता की विरासत अपीलान्ट के नाम दर्ज होना चाहिये थी। किन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के पिता तिलोका द्वारा हिस्सा 1/4 में अपने नाम नामान्तरकरण में प्रविष्ट करवा लिया, जबकि उक्त तिलोका अपीलान्ट का कोई भाई नहीं है तथा पांच्या उर्फ पांचूराम से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु उसके द्वारा गुपचुप में अपने नाम का अंकन करवाकर नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया क्योंकि अपीलान्ट उस समय 16 वर्ष का नाबालिग था तथा अपीलान्ट की माता अनपढ एवं देहाती महिला थी जिसको राजस्व रिकॉर्ड का कोई पता नहीं था। जिसका फायदा उठाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 19 तस्दीक करवा लिया। इसलिये तत्कालीन नायब तहसीलदार बसवा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण सं0 19 दिनांक 05.08.1955 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने में आपत्ति होना व्यक्त करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र दफा–5 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पर अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 19 विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रक्रियाओं व उत्तराधिकार अधिनियम के विरूद्ध दर्ज किया गया है। विवादित भूमि के हिस्सा 1/2 के खातेदार टेका पुत्र श्योबख्श तथा 1/2 हिस्से के खातेदार अपीलान्ट का पिता पांच्या पुत्र श्योबख्श था, तथा जमाबन्दी व खतौनी में उक्त टेका व पांच्या ही बतौर खातेदार दर्ज थे एवं हिस्से के अनुसार काबिज चले आ रहे थे। उक्त दोनो की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण वास्तविक वारिसान के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था। टेका की विरासत का नामान्तरकरण सही दर्ज कर दिया किन्तु पांच्या की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने में अपीलान्ट जो पांच्या का पुत्र था एवं उस समय नाबालिग था, के साथ तिलोका पुत्र नारायण का नाम भी अंकित कर दिया। कानून का प्रावधान है कि किसी की भी मृत्यु होने के पश्चात् उसकी विरासत का नामान्तरकरण उसके पुत्र, पुत्री व पत्नि के नाम ही दर्ज किया जाता है। किन्तु नायब तहसीलदार बसवा के द्वारा उत्तराधिकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया है। राजस्थान सरकार व भारत सरकार द्वारा बनाये गये संविधान व कानून के अनुसार विरासत का मुख्य उद्देश्य तय किया गया है। जिसमे स्पष्ट प्रावधान है कि पुत्र का अधिकार पिता की सम्पत्ति में होता है किसी अन्य का नहीं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनों की अवहेलना कर पांच्या की विरासत के उक्त नामान्तरकरण में गांव के अन्य व्यक्ति तिलोका का नाम दर्ज कर कानूनी भूल की है। विरासत के नामान्तरकरण को दर्ज करने से पूर्व मृतक के वास्तविक वारिसान की जांच की जाकर शपथ पत्र एवं दस्तावेज लेकर ही नामान्तरकरण तस्दीक की कार्यवाही जानी चाहिये थी। किन्तु अपीलान्ट व अपीलान्ट की मां को सुनवाई का कोई अवसर की नहीं दिया गया। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति है। दिनांक 7.10.2018 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपने साथ दो अनभिज्ञ लोगो को लेकर अपीलान्ट की उक्त जमीन पर आकर जमीन दिखाने एवं उक्त विवादितग्रस्त जमीन को बेचने की धमकी देने पर अपीलान्ट 8.10.2018 को पटवारी से मिला तब अपीलान्ट को इसकी जानकारी होने पर नकल दिनांक 09.10.2018 को प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अवैध आदेशों के विरूद्ध अपील पेश करने में कोई मियाद बाध्यकारी नहीं होती, फिर भी दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट(अप्रार्थी) सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त विवादग्रस्त नामान्तरकरण का अपीलान्ट को पहले से मालूम था। उक्त भूमि पर मिन रेस्पोडेन्ट(अप्रार्थी) खातेदार काबिज काश्तकार है तथा बजमाने बुजुर्गान से बहैसियत पांच्या के वारिसान काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इस बात का शुरू से ही अपीलान्ट को भली भांति मालूम था। तिलोका के बेटों ने तकास्मा के लिये दावा पेश किया है। सम्वत 1984 से हमारी खातेदारी में है। श्योबख्श के वस्तुतः तीन लडके टेका, नारायण एवं पांच्या थे। नारायण का नाम गलती से विलोपित हो गया। पांच्या के एक ही लडका रूपनारायण है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर लिछमण, बाल्या एवं नत्था लोन लेते रहे है। अपीलान्ट को मालूम होना चाहिये था कि उक्त भूमि में इनका हिस्सा कम था तो सवाल उठाना चाहिये था। नामान्तरकरण खुले लगभग 63 वर्ष हो चुके है। इतने लम्बे समय के बाद उक्त नामान्तरकरण को चैलेंज करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने के कारण कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट को मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण सं0 19 दिनांक 05.08.1955 को नायब तहसीलदार बसवा द्वारा तस्दीक किया गया। जिसे लगभग 63 वर्ष हो चुके है। अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है, जो चलने योग्य नहीं होने से हम प्रार्थी द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनन मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official